



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 374 राँची, बुधवार 6 ज्येष्ठ, 1937 (श०)
27 मई, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

22 मई, 2015

संख्या- 02/न.वि./Reform-09/10-..1871-- झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम, 2011 जो दिनांक 15 अप्रैल, 2015 से प्रभावी है, के द्वारा भवनों को किराया पर देने तथा ऐसे भवनों के किराये, भवन स्वामी तथा किरायेदार के मध्य बेहतर संतुलन स्थापित करने और वाद प्रस्तुतिकरण में कठिनाईयों को कम करने व उससे संबंधित मामलों के नियंत्रण के लिए प्रावधान किये गये हैं ।

2. झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा-31 में वर्णित प्रावधान के आलोक में झारखंड राज्य के सभी अनुमंडलों में पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारियों को उनके अधीनस्थ क्षेत्र के नियंत्रक के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाता है ।

3. राज्यान्तर्गत सभी अनुमंडल पदाधिकारी झारखंड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम, 2011 के विभिन्न सुसंगत धाराओं के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तथा विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।
4. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-6253, दिनांक 22 नवम्बर, 2012 को रद्द समझा जाये ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।
